संख्याः 1423 /XXIV-3/07/02(116)2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 16 जनवरी 2008 ~~दिसम्बर, 2007~~

विषयः अनुसूचित जाति उपयोजना के अर्न्तगत विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5(ख)/30531/एस0सी0एस0पी0/2007–08/ दिनांकः 10 सितम्बर, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित 07 राज्यकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ–3 पर उल्लिखित कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणनों के परीक्षणोपरान्त स्तम्भ–4 पर कुल अनुमोदित लागत रूपये 509.95 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 194.95 लाख (रूपये एक करोड़, चौरानवें लाख, पिच्यानवें हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्याः 1010/XXIV-3/2007/02(20)2007, दिनांक 03 अगस्त, 2007 द्वारा प्रश्नगत योंजना में आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	निर्माण एजेन्सी का नाम	टी.ए.सी.द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1.	रा0कन्याउ0मा0वि0ताड़ीखेत अल्मोड़ा	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रानीखेत, अल्मोड़ा	38.55	14.55
2.	रा0इ0का0सिलौर महादेव, अल्मोड़ा	–तदैव–	36.90	13.90
3	रा0उ0मा0वि0, टिम्टा, पिथौरागढ़।	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्पावत	66.15	26.15
4.	रा0उ0मा0वि0, भिनगडी, पिथौरागढ़।	–तदैव–	69.35	27.35
5.	राजकीय इण्टर कालेज गरूड़, बागेश्वर	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, बागेश्वर	124.10	44.10
6.	रा0इ0का0 दुगड्डा, पौड़ी	उ0प्र0रा0 निर्माण निगम, हरिद्वार	81.85	31.85
7.	रा0इ0का0 थापलाओंण, टिहरी।	उ0प्र0रा0 निर्माण निगम, टिहरी	93.05	37.05
	कुल योगः–		509.95	194.95

क्रमशः.....2

अपूर्ण

(1)– उपर्युक्त विद्यालयों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(2)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(3)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(6)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(7)– कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री को किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(10)– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करनें पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(11)– किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाये तथा उसकी सूचना प्रशासकीय विभाग को भी दें एवं डिग्री कालेजों/मेडिकल के हॉस्टलों का निर्माण एच0आई0सी0 के मानकों के आधार पर प्रारम्भिक आगणन गठित किये जायें।

(12)– शासनादेश संख्याः **2047/XIV-219 (2006)** दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(13)– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य संभव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

क्रमशः.....3

आपण

(14)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(15)– निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निर्माण संस्था द्वारा विभागाध्यक्ष/संस्था को उपलब्ध कराये जायेगें।

(16)– विभाग गुणवत्ता/प्रगति के अनुश्रवण/चैकिंग हेतु third party checking की व्यवस्था करेंगें। व्यय सैंटेज चार्जेज से वहन किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा––आयोजनागत–02–अ0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–अ0सू0जा0 बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0, इ0 कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण–24–वृहद निमार्ण कार्य के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 701(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2007 दिनाँकः 27.11.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

/

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्याः 1423(1) /XXIV-3/07/02(116)2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल– नैनीताल/गढ़वाल मण्डल– पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल– नैनीताल/गढ़वाल मण्डल– पौडी।
7– मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा अनुभाग)
8– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी।
9– कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी।
11– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
13– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(पी0एल0शाह)
उप सचिव